

**मांग संख्या 56**  
**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन के निर्णयानुसार ग्रामोद्योग संचालनालय एवं मैदानी कार्यालय हेतु 02 नग नवीन वाहन क्रय हेतु राशि रूपये 8.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 8,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

विक्रय एवं निर्यात को बढ़ावा देने, शिल्पियों की गुणवत्ता तथा नवीन डिजाइनों के प्रशिक्षण एवं उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण के लिए बिलासपुर में प्रशिक्षण एवं सह संग्रहण केन्द्र की स्थापना हेतु राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन के निर्णयानुसार फ्यूजन स्कूल आफ आर्ट शिल्प पाठशाला प्रारंभ करने हेतु रूपये 80.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 80,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 4**

इंटिग्रेटेड हैण्डीक्राफ्ट एक्सीलेस प्रोजेक्ट के स्थापना हेतु राशि 20.00 लाख का व्यय संभावित है । अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 5**

प्रदेश के कुम्भकारों को टेराकोटा शिल्प विकास के लिये बढ़ावा देने हेतु रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 6**

राज्य शासन के निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ हाट निर्माण के पश्चात साज-सज्जा, संग्रहण, मेनटेनेन्स एवं प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रूपये 25.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 25,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मांग संख्या 41**  
**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद क्रमांक 1**

बस्तर एवं बालोद में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु राशि रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

राज्य शासन के निर्णयानुसार ग्राम किल्लेकोडा तहसील जिला दुर्ग में ग्राम को शिल्प ग्राम का दर्जा दिये जाने हेतु सी.एफ.सी. स्थापना किये जाने हेतु 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।